न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/31/2019 वाद | दायर दिनांक 22.03.2019

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पिता ईश्वर लाल जाति हेड़ा (महाजन) आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. जानकी लाल पिता ईश्वर लाल जाति हेड़ा (महाजन) आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. शान्ती लाल पिता नाथू लाल जाति हेड़ा (महाजन) आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट —वादी
स्वयं —प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 02.03.2022

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ0 न0 2315 रकबा 0.13 है0, आ0 न0 2316 रकबा 0.13 है0, आ0 न0 2317 रकबा 0.96 है0, आ0 न0 2318 रकबा 0.06 है0, आ0 न0 2319 रकबा 0.43 है0, आ0 न0 2320 रकबा 0.56 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.27 हेक्ट0 है, जिसमें वादी का 1/4 , प्रति0न0 1 का 1/4 , प्रति0न0 2 का 1/2 हिस्सा रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है। यह कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात रेवेन्यू रेकार्ड में संयुक्त दर्ज है में वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर0टी एक्ट0 के वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र में दिनांक 17.03.2021 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त वाद पत्र में दिनांक 02.03.2022 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से आपसी राजीनामा से अंतिम डिक्री किये जाने बाबत् मिसल तलबी व राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। व तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। बटवाडा रिपोर्ट का अवलोकन किया व बटवाडा रिपोर्ट पर समस्त खातेदारों द्वारा हस्ताक्षर किये गये है, व आज उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः राजीनामे अनुसार आज दिनांक 02.03.2022 को वाद पत्र अन्तिम रूप से डिक्री इस आ[illegible] दी जाती है की मौजा सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ0 न0 2315 रकबा 0.13 है0, आ0 न0 2316 रकबा 0.13 है0, आ0 न0 2317 रकबा 0.96 है0, आ0 न0 2318 रकबा 0.06 है0, आ0 न0 2319 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.03.30 11:49:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0.43 है0, आ0 न0 2320 रकबा 0.56 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.27 हेक्ट0 है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 17.12.2021 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है।

1. जानकीलाल पुत्र ईश्वरलाल 1/4, लक्ष्मीलाल पुत्र ईश्वरलाल 1/4, शान्तीलाल पुत्र नाथूलाल 1/2 जाति महाजन सा0 देह खातेदार, रहन हिस्सा 1/2 शान्तीलाल का पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिंहपुर

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	2318	0.06	आ0चा0
2	2319/1 में से	0.03	रास्ता
योग	कुल किता–2	0.09	

2. शान्तीलाल पुत्र नाथूलाल जाति महाजन सा0 देह खातेदार, रहन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिंहपुर

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	2316	0.13	चाही 2
2	2317	0.96	चाही 3
योग	कुल किता– 2	1.09	

3. जानकीलाल पुत्र ईश्वरलाल जाति महाजन सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	2315	0.130	बारानी 2
2	2319/2 में से	0.135	चाही 2
3	2320/1 में से	0.280	चाही 2
योग	कुल किता– 3	0.545	

4. लक्ष्मीनारायण पुत्र ईश्वरलाल जाति महाजन सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म
1	2319 मीन में से	0.265	चाही 2
2	2320 मीन में से	0.280	चाही 2
योग	कुल किता– 2	0.545	

रहन बदस्तुर रहें तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 02.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.03.30 11:49:01 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official